

नोट :-

1. बिड को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
2. बिड E-Procurement के जरिए प्राप्त की जायेगी। बोलीदाता द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. बिड से सम्बन्धित सारे वेबसाईट www.jda.rajabasthan.gov.in, <http://eproc.rajabasthan.gov.in>, sppp.rajabasthan.gov.in पर अथवा वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कार्यालय (कमरा नं. NB.SF-204) में देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/25/4353

वरिष्ठ उद्यानविज्ञ